तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक प्रार्थीगण । श्री हगामीलाल, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा– 84 के अन्तर्गत विद्वान अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर कैंप अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार स्व0 प्रभातीलाल थे तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हुये। तहसीलदार अलवर ने बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये एवं बिना खातेदार प्रभातीलाल को नोटिस दिये अवैधानिक तौर पर उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 1079 दिनांक 28–5–87 द्वारा अप्रार्थी नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के यहां मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की, जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर ने अपने आदेश दिनांक 1–7–2000 द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैंप अलवर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 21–11–02 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की आराजी थी तथा वह खातेदार की हैसियत से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	काबिज काश्त चले आ रहे है। तहसीलदार ने बिना प्रार्थीगण खातेदार को नोटिस दिये एवं बिना सुने विवादित नामांतरकरण अप्रार्थी के हक में तस्दीक कर दिया। चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को सुने बिना नामांतरकरण तस्दीक किया था ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी होते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष अपील मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दी गई। किंतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रार्थी की अपील मियाद बाहर खारिज कर दी। जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का ठोस एवं उचित कारण प्रकट कर दिया था। अवैध एवं गलत पारित निर्णय में मियाद आडे नहीं आती तथा अवैध एवं गलत निर्णय को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये निर्णय पारित किये है। जो न्याय नियम एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जावे तथा अपील स्वीकार की जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि प्रार्थीगण ने अपील 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की थी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। मियाद कंडोन करना पीठासीन अधिकारी का स्वविवेकीय अधिकार है जो प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विवादित नामांतरकरण आवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 10–11–86 व तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–4–87 की पालना में स्वीकृत किया गया है। नामांतरकरण तस्दीक करने के मूल आदेश को निरस्त करवाये बिना विवादित नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं निर्णयों को गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सर्वप्रथम मैं यहां यह उल्लेख कर देना उचित समझता हूॅ कि परीक्षण न्यायालय में अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस सबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं सभी माननीय उच्च न्यायालयों ने अनेकानेक प्रकरणों में इस आशय का मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जिस पक्षकार द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में देरी की जाती है उसे देरी के सबंध में विश्वसनीय, प्रर्याप्त एवं संतोषजनक कारण बताये जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालयों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि राज्य सरकार हो या निजी पक्षकार, दोनों के अधिकार समान है और दोनों ही पक्षों को अपील में की गई देरी को कंडोन कराने हेतु पर्याप्त, विश्वासनीय एवं संतोषजनकर कारण बताने आवश्यक है। न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 बनाम श्री केसर व अन्य 1995 (2)आरएलआर पेज 585 के विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय एआईआर 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 1353 को उद्धरित करते हुये निम्न मत व्यक्त किया गया हैः— "If the delay is to be condoned mechanically on the ground of administrative exigencies, then in almost all cases the court has to condone the delay. That is never the intention of the Supreme Court while laying down the law of condoning the delay on the ground of administrative exigencies." 1996(1)RLR Page 714 "It is settled law that if an appeal is not presented with the period of limitation, it creates a right in favour of respondent and, therefore, when that right is subjected to be negated, it should not be based on reasonable grounds. A party seeking condonation of delay in filing appeal beyond the period of limitation must satisfy the court that there was sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation. In that regard, much differentiation would not be made between the Govt. or a	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	private party. Considering the variety of activities, Govt. is engaged and the ultimate sufferer on account of dismissal of appeal being the public, there may be difference of degree of proof required by the Govt. and the private party to establish sufficient cause but that would not or cannot relieve the Govt. from alleging and proving sufficient cause for delay. The Govt. is not required to give reasons and proving for each day's delay but has to allege and prove overall cause for the entire period. The Govt. cannot get over the delay simply because it is Govt., bonafide steps taken by the officer of the Govt. in filing the appeal is if stalled by the procedural rigmarole, inter-departmental wrangling or time taken for decision making would constitute a sufficient cause for condonation of delay. But if there is utter lack of sense of responsibility, dereliction of duty, failure to decide priorities and deliberate inaction on the part of the Govt. servant, procedural delay could not be ground for condonation of delay. In such a case, Govt. would be well advised to take proper steps against the erring officer but that would not constitute a sufficient cause. In the present case, there is complete lack of material particulars as to why the delay has been caused. A bald statement that there was delay in granting sanction would not constitute a ground for condonation of delay." उपरोक्त मूलभूत सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुये प्रथम परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो यह पाता हूं कि तहसीलदार के नामांतरकरण आदेश की अपील 3 वर्ष छःमाह पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई। विवादित नामांतरकरण अवाप्ति मुताबिक आदेश विशेषाधिकारी के आदेश दिनांक 30–11–86 व आदेश तहसीलदार दिनांक 6–4–87 की पालना में दर्ज कर तहसीलदार अलवर द्वारा दि0 28–5–87	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	को स्वीकृत किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अपील दिनांक 31–12–90 अर्थात लगभग 3 वर्ष 6 माह बाद अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20–12–90 को पटवारी हल्का से होना बताते हुये प्रस्तुत की थी। नगर सुधार न्यास की पत्रावली संख्या 273/82 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा अवाप्ति कार्यवाहीं में दिनांक 29–4–85 तक भाग लिया जाना स्पष्ट है तथा आवाप्ति आदेश की पालना में ही विवादित नामांतरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुये असाधरण विलम्ब का कोई ठोस और विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया है। यह नहीं माना जा सकता कि विवादित नामांतरकरण के निर्णय की जानकारी उन्हें 3 वर्ष 6 माह तक नहीं हुई हो, अपने कथन की पुष्टी में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये। प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये विलम्ब के कारण एंव आधार अविश्वसनीय एवं काल्पनिक है जो मान्य नहीं है। नियमानुसार प्रार्थी/अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब अवधि का पूर्ण व विश्वसनीय ब्योरा देना चाहिये था जो नहीं दिया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मियाद/निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का ऐसा कोई विधिक आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि असाधारण विलम्ब को क्षमा कर दिया जाये। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी / एलआर / 203 / 2003 / जिला अलवर
कोकली वगैरह बनाम नगर विकास न्यास